

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 210 / 2019

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0

पंजीकृत ऑफिस-19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर

शाखा कार्यालय:- आदर्श नगर, अजमेर

जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

- (1). श्री अनिल कुमावत पुत्र श्री त्रिलोकचन्द कुमावत वयस्क,  
निवासी:- 247, कुमावत मौहल्ला, श्रीनगर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
- (2). श्री राजेश पुत्र श्री त्रिलोकचन्द,  
निवासी:- 249, कुमावत मौहल्ला, श्रीनगर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
- (3). श्रीमती सन्तोष पुत्र श्री त्रिलोकचन्द,  
निवासी:- 341, कुमावत मौहल्ला, श्रीनगर, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
- (4). श्री राकेश कुमावत पुत्र श्री त्रिलोकचन्द,  
निवासी:- वार्ड नं. 4, कुमावत मौहल्ला, श्रीनगर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
- (5). श्री सुनील कुमावत पुत्र श्री त्रिलोकचन्द,  
निवासी:- 249, कुमावत मौहल्ला, श्रीनगर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
- (6). श्री जाकिर बेग पुत्र श्री युसुफ बेग वयस्क,  
निवासी:- 249 कुमावत मौहल्ला, श्रीनगर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण (ऋणी / जमानती)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिकसटक्शन  
आफ फाईनेन्शियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ  
सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :- श्री प्रवीण सिंह राजावत

अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 02.12.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण सं 01 लगायत 05 को दिनांक 16.05.2016 को रु 3,00,000/- (अक्षरे तीन लाख रूपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर कुमावतों का मौहल्ला, ग्राम श्रीनगर, जिला अजमेर स्थित आवासीय सम्पत्ति, क्षेत्रफल 153.50 वर्ग गज है, जिसके पट्टे का पंजीयन उप पंजीयक श्रीनगर में दिनांक 21.03.2014 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2 में पृष्ठ संख्या 75 कम संख्या 2013000269 पर पंजीबद्ध किया गया है तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 5 के पृष्ठ संख्या 135 से 142 पर चस्पा किया गया है जिसकी चतुर्थ सीमाएं - पूर्व -आम रास्ता, पश्चिम - श्री घनश्याम व भंवरलाल का मकान, उत्तर-श्री सुरेश का मकान, दक्षिण -स्वयं का नोहरा, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 30.04.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण



At Sharma

जिला मजिस्ट्रेट  
अजमेर

ऋणी को दिनांक 09.08.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये-3,12,307 / -(अक्षरे तीन लाख बारह हजार तीन सौ सात रूपये मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पत्ति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति, कुमावतों का मौहल्ला, ग्राम श्रीनगर, जिला अजमेर स्थित आवासीय सम्पत्ति, क्षेत्रफल 153.50 वर्ग गज है, जिसके पट्टे का पंजीयन उप पंजीयक श्रीनगर में दिनांक 21.03.2014 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2 में पृष्ठ संख्या 75 कम संख्या 2013000269 पर पंजीबद्ध किया गया है तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 5 के पृष्ठ संख्या 135 से 142 पर चस्पा किया गया है जिसकी चतुर्थ सीमाएं - पूर्व -आम रास्ता, पश्चिम - श्री घनश्याम व भंवरलाल का मकान, उत्तर-श्री सुरेश का मकान, दक्षिण -स्वयं का नोहरा, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्त कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 02.12.2019 को सुनाया गया।



*(Signature)*  
( विश्व मोहन शर्मा )  
जिला मजिस्ट्रेट  
अजमेर